



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी
प्रेस-नोट

दिनांक:-18-03-2025

विषय:- "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत अभियुक्त अजीत सिंह को यूपी गैंग एक्ट के प्रकरण में मा० न्यायालय द्वारा अधिकतम 02 वर्ष की सजा व कुल- 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना-कोतवाली में पंजीकृत मु०अ०सं०- 224/2005, धारा- 3(1) यूपी गैंग एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त अजीत सिंह पुत्र मुरलीधर सिंह निवासी सी-12 डाक्टर कालोनी पाण्डेयपुर कैण्ट वाराणसी को थाना-कोतवाली पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 18-03-2025 को मा० न्यायालय स्पे० जज गैंग एक्ट जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को धारा- 3(1) यूपी गैंग एक्ट में 02 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल- 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी
कमिश्नरेट-वाराणसी